



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक -जल/२०२०/ ३४१०

दिनांक ३१/०८ /२०२०

शुद्धि पत्र


कार्यालय आदेश पत्रांक-जल/२०२०/३१५६ दिनांक ३०.०३.२०२० के सारणी-ब के क्रम संख्या-१६ के कॉलम-३ में लिपिकीय त्रुटि का शुद्धि पत्र

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व के जारी कार्यालय आदेश पत्रांक-जल/२०२०/३१५६ दिनांक ३०.०३.२०२० के सारणी-ब के क्रम संख्या-१६ के कॉलम-३ में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं :-

(ब) संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यवसायिक भूखण्डों हेतु न्यूनतम देय जल शुल्क दरें :-

क्र० सं०	लिपिकीय त्रुटिवश जारी दरें		संशोधित दरें	
			वित्तीय वर्ष २०२०-२१ हेतु प्रतिमाह देय जल मूल्य (रु० में)	
१	२	३	४	५
१६	६० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर	(४८७१९.०० + ९७४४.००) (६० एकड़ + प्रति एकड़) जैसे ६१ एकड़ की दर = ४८७१९.०० + ९७४४.०० = ५८४६३.००	६० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर	(४८७१९.०० + ९७४.४०) (६० एकड़ + प्रति एकड़) जैसे ६१ एकड़ की दर = ४८७१९.०० + ९७४.४० = ४९६९३.४०

अतः पूर्व के जारी कार्यालय आदेश संख्या पत्रांक-जल/२०२०/३१५६ दिनांक ३०.०३.२०२० को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाये।


(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:

१. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
२. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी०) को सूचनार्थ।
३. विशेष कार्याधिकारी (एस०के०/एस०एस०) को सूचनार्थ।
४. महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना-I/II) को सूचनार्थ।
५. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) को सूचनार्थ।
६. उप महाप्रबन्धक (वित्त/अर्बन सर्विस) को सूचनार्थ।
७. प्रभारी (नियोजन/बिल्डर्स/संस्थागत/आई०टी०) को सूचनार्थ।
८. प्रभारी (सिस्टम) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। ५११५१
९. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ।
१०. शाखा प्रबन्धक (केनरा बैंक/कारपोरेशन बैंक/इण्डियन बैंक/पंजाब नैशनल बैंक/ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार जल शुल्क जमा करने के चालानों में अंकित कराने का कष्ट करें।
११. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
१२. प्रबन्धक (सिस्टम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी